बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

का०आ०सं०– स्था०1/आ०2–33/2015 131 पटना, दिनांकः 03.5.18

कार्यालय आदेश

श्री अवधेश कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, शेरघाटी, गया संप्रति सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, भोजपुर (आरा) के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, गया के ज्ञापांक 449 दिनांक 20.07.2015 के साथ संलग्न प्रपत्र 'क' के आधार पर निदेशालय के आदेश संख्या 272 सहपठित ज्ञापांक 1808 दिनांक 20.11.2015 द्वारा इनपर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, विभागीय जॉच, गया के पत्रांक 119/वि०जॉ० दिनांक 02.03.2016 द्वारा श्री अवधेश कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में निम्न जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है । आरोपी श्री अवधेश कुमार के स्पष्टीकरण एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के मंतव्य के विश्लेशण से प्रतीत होता है कि प्रश्नगत मामला आरोपी श्री अवधेश कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, शेरघाटी के कार्यकाल से बहुत पहले से चला आ रहा था। यह मामला दिनांक 02.08.2011 से चला आ रहा था, जबकि आरोपी दिनांक 13.02.2014 को शेरघाटी प्रखंड में योगदान किये है। इनके योगदान के बाद वित्तीय वर्ष के समाप्ति के बहुत कम दिन रह गया था। पूर्व के इतिहास को देखते हुए आरोपी के द्वारा उपस्थिति पंजी की मांग की गयी थी ताकि इनका कार्य अवधि स्पष्ट हो सके। परंतु कार्य अवधि की पुष्टि नहीं होने के कारण तथा सूचना अधिकार से प्राप्त जानकारी के कारण उपस्थिति पंजी श्री सत्य नारायण गुप्ता के पास ही होने के कारण उपस्थिति पंजी उपलब्ध नहीं हो सका।

इन तथ्यों से स्पष्ट होता है कि यह मामला काफी पुराना था। जिसमें आरोपी के कार्यकाल में मात्र एक माह 17 दिन का था । फिर भी चूँकि यह विशेष आवंटन था। इसलिये आरोपी के द्वारा गहन छानबीन की जानी थी। अगर वह संतुष्ट नहीं थे तो उन्हें उच्च अधिकारी से निदेश प्राप्त करना चाहिये था, जो उन्होंने नहीं किया है तथा राशि प्रत्यर्पित कर दिया।

अतः उपर्युक्त कारणों से आरोपित पर यह आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित होता है।

3 बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18 में किये गये प्रावधान के तहत संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन पर श्री अवधेश कुमार से अभ्यावेदन प्राप्त किया गया। अपने अभ्यावेदन में इन्होने उल्लेख किया है कि परिवादी श्री सत्यनारायण गुप्ता द्वारा जनगणना के अंतिम दौर में जनवरी 2011 से मार्च 2011 के बीच कार्य ही नहीं किया गया था। अनाधिकृत रूप से वे हमेशा अनुपस्थित रहे हैं। जनगणना 2011 के समाप्ति के 2½ (अढ़ाई) वर्षो के बाद अनाधिकृत अनुपस्थिति अवधि का 30,000/– (तीस हजार) रूपये का विशेष आवंटन जिला सांख्यिकी कार्यालय, गया से जनवरी 2014 में प्राप्त हुआ था। ये शेरघाटी प्रखंड में दिनांक 13.02.2014 को योगदान करने के उपरांत 24.02.2014 को प्रखंड के रोकड़पंजी का प्रभार लिये थे। नये प्रावधानों के अनुसार राशि की निकासी डी०सी०विपत्रों के द्वारा ही संभव है। जिसमे मानदेय पर नियुक्त

कर्मी का उक्त अवधि का कार्य करने का प्रमाण पत्र देने के आधार पर निकासी संभव था। चूँकि कार्यालय में अनुपस्थिति /उपस्थिति पंजी उपलब्ध नहीं था एवं इसके लिए प्रयास करने के बाद भी वह उपलब्ध नहीं हो सका और आवंटन की राशि जनवरी 2011 से मार्च 2011 के बीच का था । अतः वित्तीय वर्ष की समाप्ति में अल्प समय बचे रहने के कारण राशि प्रत्यर्पित कर दिया गया।

तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी–सह–चार्ज पदाधिकारी द्वारा श्री गुप्ता के जनवरी 2011 से मार्च 2011 के बीच अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में अपर समाहर्त्ता–सह–जिला जनगणना पदाधिकारी को सूचना दी गयी थी और वहाँ से कोई निदेश प्राप्त नहीं हो पाया था। लोक सभा निर्वाचन 2014 का प्रथम चरण 10.04.2014 को ही था जिसमें गया लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का शेरघाटी प्रखंड भी शामिल था। शेरघाटी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप मे चुनाव संबंधी अतिमहत्वपूर्ण कार्यो के कारण व्यस्तता काफी बढ़ गयी थी। अतः प्रश्नगत मामले में उच्चाधिकारी से आदेश प्राप्त करने की दिशा में ध्यान नहीं गया।

4. श्री अवधेश कुमार के अभ्यावेदन से स्पष्ट होता है कि चूँकि ये विशेष आवंटन था अतः इसकी गहन छानबीन कर उच्चाधिकारियों से आदेश प्राप्त कर इस मामले का निष्पादन कर लेते जो इनके द्वारा नहीं किया गया है। अतः इनका अभ्यावेदन पूर्ण रूप से स्वीकारयोग्य नहीं है।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि अपने पदेन शक्तियों का दुरूपयोग करते हुए बिना उच्चाधिकारी को सूचना दिये विशेष आवंटन का प्रत्यर्पण के लिए ये आंशिक रूप से दोषी प्रतीत होते है।

5. उक्त वर्णित प्रमाणित आरोपों के लिए संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री अवधेश कुमार पर संचयी प्रभाव के बिना एक वेतनवृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

6. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अवधेश कुमार तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी शेरघाटी, गया संप्रति सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, भोजपुर (आरा) पर बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 में किये गये प्रावधानों के तहत सचयी प्रभाव के बिना एक वेतनवृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

ह0/–

(पूनम)

निदेशक

ज्ञापांक :– स्था01/आ02–33/2015 809 पटना, दिनांक : 3.04.18

प्रतिलिपि :– सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. जिला पदाधिकारी, गया/भोजपुर(आरा)।
3. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, गया/भोजपुर (आरा)।
4. श्री सुदामा कुमार, आई0टी0मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
5. श्री अवधेश कुमार, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, भोजपुर (आरा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3/4/18

निदेशक

03020 स्था0 1 (02 अप्रैल 2018) अवधेश कुमार

मंदिरा